पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2011 ई0 (फाल्गुन 07, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	65–77	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	41–43	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	13	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2010 ई0

संख्या 177/xxiv(6)/10–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2010 (अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2010) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अध्यादेश को प्रवृत्त करने के लिए एतद्द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2010 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

28 जून, 2010 ई0

संख्या 1595/XV–1/2(14)/2006–''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 2010

भाग–एक सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट एवं मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट के पदों के सम्बन्ध में ''निदेशक'' अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) 'संविधान' से भारत के संविधान अभिप्रेत है;

(घ) 'निदेशक' से निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम–1994 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ण) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो संवर्ग

3–सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी "परिशिष्ट" में दी गयी हैं, परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अस्थायी एवं स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन भर्ती

4–भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	–	सीधी भर्ती द्वारा
(दो) मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	–	स्थायी पशुचिकित्सा फार्मेसिस्टों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा।

5–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती एवं पदोन्नति के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार अर्हताएं

6–राष्ट्रीयता–

सेवा में भर्ती के लिये आवश्यक है, कि अभ्यर्थी–

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

7–शैक्षिक अर्हताएं–

(1) पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :–

(क) उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परिषद् से जीव विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता,

(ख) अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी (फार्मेसी) का डिप्लोमाधारक होना चाहिए।

(2) इस सेवा नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व, विभाग में कार्यरत पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट की शैक्षिक अर्हतायें पूर्व नियमों या आदेशों के अनुसार रहेंगी।

8–अधिमानी अर्हता–

अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(ग) एन0एस0एस0 प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

9–आयु–

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिये, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितना विनिर्दिष्ट की जाय।

10–चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11–वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये ऐसी पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस मामले में प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनको यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

12–शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–तीन के अध्याय–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच भर्ती की प्रक्रिया

13–रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 5 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

14–सीधी भर्ती के द्वारा चयन प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) 'नियुक्ति प्राधिकारी' –अध्यक्ष

(दो) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी, को 'नियुक्ति प्राधिकारी' द्वारा ना निर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य

(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का ना हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्या पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई भी अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का ना हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य

(2) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारुप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र, उपनियम में प्रकाशित प्रारुप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके,

(चार) उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिक वैबसाईट पर प्रकाशित करके।

(4) उपनियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारुप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा परीक्षा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति अभ्यर्थी की जन्मतिथि जो पहले हो, उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

15–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, नियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड) नियमावली, 2004 के अनुसार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यार्थियों की पात्रता सूचियां, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यार्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी, को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16–नियुक्ति–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम यथास्थिति नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) यदि एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो, में विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

(3) वेटनरी फार्मेसिस्ट के पद पर चयन होने के उपरान्त नियुक्त अभ्यर्थियों को विभागीय संस्थाओं में 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

17–परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या प्रतिनियुक्ति पर किये जाने पर, प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, अलग–अलग मामलों में, परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक, नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोषजनक सेवायें प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारण का अधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर, स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को, परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

18–स्थायीकरण–

(1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय, कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार, स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली, स्थायीकरण का आदेश पारित समझा जायेगा।

19–ज्येष्ठता–

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

20–वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

21–परिवीक्षा अवधि में–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि वेतन तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों के द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तक तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ अन्य उपबन्ध

22–पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

23–अन्य विषयों पर विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

24–सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय, कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम को प्रवर्तन् से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

25–व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

नियम 3 का उपनियम (2) और नियम 20 का उपनियम (2) देखें

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	पद संख्या
1.	पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	5200–20200 (ग्रेड पे–2800)	308
2.	मुख्य पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट	9300–34800 (ग्रेड पे–4200)	26
		योग	334

आज्ञा से,

विनौद फोनिया,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1595/XV-1/2(14)/2007,** dated June 28, 2010 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 28, 2010

No. 1595/XV-1/2(14)/2007--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons, appointed to the Uttarakhand Veterinary Pharmacist Service.

THE UTTARAKHAND VETERINARY PHARMACIST SERVICE RULES, 2010

Part--1 General

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called 'The Uttarakhand Veterinary Pharmacist Service Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

2. Definition--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing Authority" means the Director, Animal Husbandry in respect of post of Veterinary Pharmacist and Chief Veterinary Pharmacist;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Director" means the Director, Animal Husbandry Department, Uttarakhand;

(e) "The Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens, specified in schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservations of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as applicable to the State of Uttarakhand;

(f) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(g) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(h) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rule and, if there are no rules, in accordance with the procedure for the time being by executive instructions, issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means the period of twelve months, commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II Cadre

3. Cadre of the Service--

(1) The strength of the service and of each category of post therein, shall be such, as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of post therein shall, until orders varying the same have been passed under sub-rule (2) be such as specified in Appendix.

Provided that--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part--III Recruitment

4. Source of Recruitment--

Recruitment to the various categories of post in the service shall be made from the following sources, namely:--

(i) Veterinary Pharmacist	By Direct recruitment.
(ii) Chief Veterinary Pharmacist	By promotion from amongst the confirmed Veterinary Pharmacists on the basis of seniority, subject to rejection of the unfit.

5. Reservation--

Reservation for the candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories of the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of Government in force at the time of recruitment.

Part--IV Qualification--

6. Nationality--

A candidate for direct recruitment to the service must be--

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Dy. Inspector General of Police, Intelligence Branch, Urrarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above a certificate of eligibility will not be issued for a period of more than one year, and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note-- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and may also be provisionally appointed, subject to the neessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

7. Academic Qualification--

(1) A candidate for direct recruitment to the service of the post of Veterinary Pharmacist must posses the following qualification :--

(a) Must have passed the Intermediate examination from the Board of Education and Examination, Uttarakhand with Biology or Board of Madhymik Shiksha Pariksha, Uttar Pradesh or a qualification, declared by the Government as equivalent thereto;

(b) Diploma in pharmacy from any recognized institution.

(2) Prior to the enactment of these rules, the qualification of the working pharmacist in the department shall be in accordance with the prevailing rules or orders of the State in this regard.

8. Preferential Qualification--

Other thing being equal, a candidate, shall be given preference in the matters of direct recruitment, who has--

(a) Obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps; or

(b) Obtained a N.S.S. Certificate.

9. Age--

A candidate for direct recruitment, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on 1st July of recruitment year :

Provided that the upper age limit in the case of candidates, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories, as may be notified by Government from time to time, shall be higher by such number of years, as may be specified.

10. Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post, must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this respect.

Note--Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons, convicted of an offence involving moral turpitude, shall also be ineligible.

11. Marital Status--

A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

12. Physical Fitness--

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules, framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate, recruited by promotion.

Part--V Procedure for Recruitment

13. Determination of Vacancies--

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidate, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, under rule 5.

14. Procedure for Direct Recruitment--

(1) Direct recruitment for the post of Veterinary Pharmacist shall be made by a selection committee, comprising of--

(i) Appointing Authority --Chairman

(ii) An Officer, having adequate knowledge in the related field according to the requirement of the posts for which recruitment is to be made, shall be nominated by the Chairman --Member

(iii) An Officer, belonging to the Scheduled Castes or Schedule Tribes, nominated by the Appointing Authority, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Schedule Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Schedule Tribes or Other Backward Classes then Chairman will nominate an officer, not belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes or Other Backward Classes --Member

(iv) An Officer, belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the Appointing Authority, if the chairman does not belong to Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer other than of Other Backward Classes, Scheduled Castes or Schedule Tribes shall be nominated by the Chairman. --Member

(2) For the direct recruitment, the application in prescribed format shall be published by the Appointing Authority in at least two such daily newspapers, which are widely circulated.

(3) An Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub-rule (2) and notify the vacancies in the following manner :--

(i) By issuing advertisment in daily newspaper, which are widely circulated;

(ii) By affixing the notice on the notice board of the office or by advertisement on Radio/T.V. and other employment news;

(iii) By notifying the vacancies to Employment Office; and

(iv) By publishing in the official website of the State of Uttarakhand.

(4) While notifying vacancies in accordance with sub-rule (3), format of application will not be re-published.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by marks obtained by them passing year wise diploma examination. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of date of birth which is earlier on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of the vacancies. The list so prepared shall hold good for one year only.

15. Procedure for Recruitment by Promotion--

(1) Recruitment by promotion shall be made through the selection committee constituted under rule 14 in accordance with the Uttarakhand Government Servants (criterion for recruitment by promotion) Rules, 2004.

(2) The Appointing Authority shall prepare eligibility list of the candidate, according to Uttarakhand (on the posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 2003 and put the same before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall prepare a list of selected candidates on the basis of the records referred to in sub-rule(2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates, arranged in order of seniority in accordance with the relevant orders of the Government at the limit of recruitment and forward the same to the Appointing Authority.

Part--VI Appointment, Probation, Confirmation And Seniority

16. Appointment--

(1) The Appointing Authority shall make the appointments by taking the names of candidates in the order, in which they stand in the list, prepared under rules 14 or rule 15, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

(3) After selection as Veterinary Pharmacist selected candidates will be given 03 months practical knowledge in Departmental Institutions.

17. Probation--

(1) A person on appointment to a post in the Service in or against a substantive vacancy or on deputation shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority, may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, except in special circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

18. Confirmation--

(1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, if--

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) His integrity is certified; and

(c) Appointing Authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

(2) Where confirmation is not necessary according to Uttarakhand Government Servant Confirmation Rule, 2002, in such case an order passed in accordance with sub-rule (3) of that rule 5 that the respective person has successfully completed the probation period, shall be deemed to be an order of confirmation.

19. Seniority--

The Seniority of persons, substantively appointed to a post in the Service, shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part--VII Pay Etc.

20. Scales of pay--

(1) The scales of pay, admissible to persons, appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in the Appendix.

21. Pay during Probation--

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not account for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not account for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government Service, shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to the Government servants, serving in connection with affairs of the state.

Part--VIII Other Provisions

22. Canvassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules, applicable to the post of the Service, will be taken in to consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly. For his candidature, will disqualify him for appointment.

23. Regulations of other matters--

In regard to the matters not specialty covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

24. Relaxation from the conditions of service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of person, appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extend and subject to such condition, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

25. Savings--

25. Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions, required to be provided for the candidates, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders, issued by Government from time to time in this regard.

Appendix

[See sub-rule (2) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 20]

Sl.No.	DESIGNATION	SCALE OF PAY Rs.	TOTAL
1.	Veterinary Pharmacist	5200-20200+ (Grade Pay 2800)	308
2.	Chief Veterinary Pharmacist	9300-34800+ (Grade Pay 4200)	26
		Total	334

By Order,

VINOD FONIA,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 हिन्दी गजट/61–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2011 ई0 (फाल्गुन 07, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 07, 2011

No. 08/XIV-91/Admin.A/2003--Sri Seash Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 30.11.2010 to 09.12.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR GENERAL, UTTARAKHAND

CHARGE CERTIFICATE

January 18, 2011

No. 43/A.G./Charge/2011--Certified that the office of the Administrator General, Uttarakhand was transferred under the orders of the Government of Uttarakhand *vide* Notification/Appointment No. 02/XXXVI(1) EK/2011-363-EK/02, dated 17 January, 2011 as herein denoted in the afternoon of January 18th, 2011 in addition to the duties of Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital.

Relieving Officer-- U. C. DHYANI

Relived Officer--

Countersigned,
(Illegible)
Principal Secretary Law/L.R.
Govt. of Uttarakhand, Dehradun.

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

18 जनवरी, 2011 ई0

पत्रांक 4268/आयु0कर,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2010–11/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री नारायणी इण्डस्ट्रीज प्लाट नं0–47ए, सेक्टर 07, आई0आई0टी0, पंतनगर	(प्ररूप–XVI)–04	U.K. VAT-B2009-169407, 169413, 1686618, 358249
2.	सर्वश्री एस0बी0 रिशेलर्स प्रा0लि0 सेक्टर–07, आई0आई0टी0, पंतनगर	(प्ररूप–XVI)–01	U.K. VAT-D2009-0566478
3.	सर्वश्री शिव हरि प्लाईवुड लि0, जसपुर	(प्ररूप–XVI)–03	U.K. VAT-B2009-0231323, 0231400, 0231516
4.	सर्वश्री ट्राईका फार्मास्यूटिकल्स लि0 सारा इन्डि0 एरिया, देहरादून	(प्ररूप–XVI)–22	U.K. VAT-B2009-0953595, 0953622, 0953665, 0953666, 0953689, 0953690, 1060134, 1060316, 1060320, 1060363, 1155583, 1155602, 1155688, 1244146, 1244226, 1244245, 1390180, 1390236, 1390247, 1390345, 1390346, 1390523
5.	सर्वश्री विन्डलास इन्जिनियर्स एण्ड सर्विसेज, प्रा0लि0 बालावाला, देहरादून	(प्ररूप–XVI)–01	U.K. VAT-D2009-1890582

अनिल कुमार गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

दिनांक 16 जनवरी, 2011

पत्र संख्या 871/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/11–श्री रघुवर दत्त, पुत्र श्री महानं खंतवाल, निवासी पास्ता मंवा पो0 वदूण, जिला–पौड़ी गढ़वाल, जिसका लाईसेन्स संख्या आर–537/कोटद्वार/01, दिनांक 23–12–2010 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या यूके12पीबी–0090 बस में 30 के स्थान पर 38 सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 10–11–2010 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा किया गया था। चालक को पत्र संख्या 810/लाईसेन्स/10, दिनांक 21–12–2010 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनांक 13–01–2011 को अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः, लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेन्स संख्या आर–537/कोटद्वार/01 को दिनांक 13–01–2011 से 12–02–2011 (एक माह) तक निलम्बित करती हूं।

दिनांक 16 जनवरी, 2011

पत्र संख्या 872/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/10–श्री नयाब सिंह पुत्र श्री सेवा राम, निवासी नन्दपुर मोटाढांक, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल, जिसका लाईसेन्स संख्या 96/कोटद्वार/10, दिनांक 19–05–2011 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या यूके12टीबी–0511 ऑटो में 04 के स्थान पर 10 सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 23–12–2010 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया था। चालक को पत्र संख्या मैमो/लाईसेन्स/10, दिनांक 11–01–2011 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनांक 11–01–2011 को अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 96/कोटद्वार/10 को दिनांक 13–01–2011 से 12–02–2011 (एक माह) तक निलम्बित करती हूं।

अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 हिन्दी गजट/61–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2011 ई0 (फाल्गुन 07, 1932 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत, पिथौरागढ़

विज्ञप्ति / मतदान का परिणाम

19 जनवरी, 2011 ई0

पत्रांक 833 / जि0पं0 / 2010–11–दिनांक 19–01–2011 को श्रीमती रंजना देवी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, पिथौरागढ़ के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व विचार करने के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पर हुये मतदान का परिणाम इस प्रकार रहा :–

कुल मतदाता सदस्य–	35
मतदान करने वाले सदस्य–	33
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े कुल मत–	31
अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में पड़े कुल मत–	01
निरस्त मतों की संख्या–	01

मतदान का परिणाम–

इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा अनुकूलन एवं उपांतरण उत्तराखण्ड 2007) की धारा 28 (II) श्रीमती रंजना देवी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, पिथौरागढ़ के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव 01 मत के विपरीत 31 मतों से पारित हुआ है।

(ह0 अपठित)
पीठासीन अधिकारी (मतदान) /
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 हिन्दी गजट / 61–भाग 3–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।